

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
समाचार भाग-2

१ विधायो तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी १  
बृहस्पतिवार 7 फरवरी, 2002/ माघ 18, 1923 १ शक १

संख्या: 186

सदस्यों की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित उपायुक्त पुलिस,  
मध्य जिला, दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के  
माननीय सदस्यों डा. जगदीश मुखी, श्री नरेश गौड, श्री हर्ष वर्धन,  
श्री साहब सिंह चौहान व श्री राम भज को दिनांक 7.2.2002  
को अपराहन 12.40 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अज्ञा  
करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 को धारा 65 के  
अंतर्गत गांधी ममोरियल हाल के सामने से नज़र बन्द किया गया।

तथा उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 7.2.2002 को अपराहन  
12.50 पर वही से रिहा कर दिया गया।"

एस. के. शर्मा  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT  
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)  
Thursday 7th February 2002 Magha 18, 1923 (saka)

No. 186

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker,  
Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from D.C.P Central Distt:-

" I have the honour to inform you that S/Shri Jagdish Mukhi,  
Naresh Gaur, Harsh vardhan, Sahib Singh Chauhan and  
Rambhaj Hon'ble members of Legislative Assembly, Delhi  
were detained in front of Gandhi Memorial Hall,  
U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful  
direction of Police at 12.40 P.M. on 7.2.2002.

They were released at 12.50 I.M. on the same day i.e.  
7.2.2002 from the same place."

S.K. SHARMA  
SECRETARY